

हरियाणा में नई SC आरक्षण श्रेणियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिये [अनुसूचित जातियों \(SC\)](#) के भीतर उप-वर्गीकरण लागू किया।

प्रमुख बिंदु

- सर्वोच्च न्यायालय के उप-वर्गीकरण पर नरिणय:
 - 1 अगस्त 2024 को, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि राज्यों को [अनुसूचित जाति \(SC\) श्रेणी के भीतर उप-वर्गीकरण बनाने का संवैधानिक अधिकार है](#), जो इसकी सामाजिक विविधता को स्वीकार करता है।
 - इस फैसले के बाद, हरियाणा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जाति उप-वर्गीकरण को मंजूरी दे दी।
- हरियाणा में उप-वर्गीकरण:
 - हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने अनुसूचित जाति आरक्षण को दो श्रेणियों में विभाजित करने की सफ़ारिश की:
 - **वंचित अनुसूचित जातियाँ (DSC):** इसमें धानक, बाल्मीक, मजहबी सखि और खटीक जैसी 36 जातियाँ शामिल हैं, जिन्हें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के कारण नौकरियों में SC आरक्षण कोटे का 50% प्राप्त होगा।
 - **अन्य अनुसूचित जातियाँ (OSC):** इसमें चमार, जटिया चमार, रेहगर, रैगर, रामदासी, रवदासी, जाटव, मोची और रामदासिया जैसी जातियाँ शामिल हैं।
- हरियाणा में DSC के लिये शैक्षणिक कोटा:
 - वर्ष 2020 में, हरियाणा ने अनुसूचित जाति (शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम लागू किया, जिसके तहत उच्च शिक्षा संस्थानों में अनुसूचित जाति की 50% सीटें DSC श्रेणी के लिये आरक्षित कर दी गईं।